

पंजीकृत

आयुक्त,

कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में

सचिव,

कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,

नई दिल्ली।

पत्रांक: सं0शि0नि0/ 6640-46 / एन0ओ0सी0/2011-12 दिनांक: २९.१०.२०११

विषय:- विन्यास पब्लिक स्कूल, अमिलिहा, चौबेपुर कानपुर नगर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाना।

नहांदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश संख्या-1916/15-7-091(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 07.10.2011 में लिये गये निर्णयानुसार विन्यास पब्लिक स्कूल, अमिलिहा, चौबेपुर, कानपुर नगर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्ता कन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्थान के शैक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की लेवा शर्त बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

४

SHAILA VALI
PRINCIPAL
VINYAAS PUBLIC SCHOOL
AMILIHA, CHAUBEPUR
KANPUR

VARUN KATIYAR
MANAGER
VINYAAS PUBLIC SCHOOL
AMILIHA, CHAUBEPUR
KANPUR

- १- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- २- विद्यालयों का रेकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- ३- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनावृत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(एस०एन०शुक्ला)

आयुक्त

कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०सं०सी०/

/2011-12 तददिनांक।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १-- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग—७, लखनऊ।
- २-- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- ३-- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- ४-- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
- ५-- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- ६-- प्रबन्धक, विन्यास पब्लिक स्कूल, अमिलिहा, चौबेपुर, कानपुर नगर (पंजीकृत),
- ७-- गार्ड फाइल।


१६/२०११०।।।

(श्रीमती माया निरंजन)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

कानपुर मण्डल, कानपुर/

सचिव मण्डलीय समिति


SHAILA VALI
 PRINCIPAL
 VINYAAS PUBLIC SCHOOL
 AMILIHA, CHAUBEPUR
 KANPUR


VARUN KATIYAR
 MANAGER
 VINYAAS PUBLIC SCHOOL
 AMILIHA, CHAUBEPUR
 KANPUR